क्रमाँक / एमपीएसएसडीईजीबी / पीएमकेवीवाय / 750 / 323 भोपाल, दिनांक 01 / 2 / 2021

लक्ष्य आवंटन-पीएमकेवीवाय 3.0 (राज्य कंपोनेंट)

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के राज्य कम्पोनेंट अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु जिले स्तर पर District Skill Committee (DSC) के द्वारा प्रेषित जॉबरोल के आधार पर प्रशिक्षण प्रदाताओं को निम्नलिखित 2 जिलों अंतर्गत सूची-1 के अनुसार लक्ष्य आवंटन किया जा रहा है :-

सूची–1 एमपीएसएसडीईजीबी द्वाराआवंटनप्राप्तटी.पी

S.No	District	TP Name	TP ID	TCID	Job Role List	QP Code	Sector	Target
1	ANUPPUR	AISECT Limited	TP000717	TC014154	Assistant Electrician	CON/Q0602	Construction	60
2	ANUPPUR	AISECT Limited	TP000717	TC014154	Field Technician Computing And Peripherals	ELE/Q4601	Electronics	60
3	CHHATARPUR	Quess Corp Limited	TP001765	TC040356	Assistant Electrician	CON/Q0602	Construction	30
4	CHHATARPUR	Quess Corp Limited	TP001765	TC040356	Warehouse Packer	LSC/Q2303	Logistics	30

1. सभी प्रशिक्षण प्रदाताओं को इस कार्यादेश की दिनांक से 01 सप्ताह के भीतर समस्त आवंटित लक्ष्य हेतु प्रशिक्षण प्रारंभ करना अनिवार्य होगा।
2. प्रत्येक माह मे कम से कम एक समीक्षा बैठक का आयोजन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एमपीएसएसडीईजीबी की अध्यक्षता में किया जावेगा। प्रथम समीक्षा बैठक इस कार्यादेश की तिथि से 15 दिवस के भीतर आयोजित होगी। प्रत्येक प्रशिक्षण प्रदाता की ओर से उक्त प्रत्येक बैठक में अपने संस्था प्रमुख अथवा आवंटित प्रशिक्षण लक्ष्य हेतु समस्त निर्णय लेने के लिए अधिकृत व्यक्ति को ही भाग लेना आवश्यक होगा।

3. साथ ही इस कार्यादेश की दिनांक से 01 सप्ताह के भीतर में प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र हेतु प्रशिक्षण प्रारंभ किये जाने का वर्क प्लान प्रस्तुत करना होगा। वर्क प्लान का प्रारूप **अनुलग्नक -1** पर संलग्न है।

4. सभी प्रशिक्षण प्रदाता स्किल इंडिया पोर्टल एवं SSDM पोर्टल पर बैच मंजूरी किये जाने हेतु निम्न आवश्यकताओं की पूर्ति करेगे:-

   I. इनस्पेक्शन रिपोर्ट, स्मार्ट अक्रिडिएशन प्रमाण पत्र तथा एसएससी एफिलिएशन प्रमाण पत्र की स्वयं प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करें।

   II. प्रशिक्षक द्वारा संबंधित जाबरोल मे टीओटी उत्तीर्ण कर स्किल इंडिया पोर्टल पर प्रमाणीकरण सत्यापित हो तथा टीओटी की वैधता कम से कम बैच समाप्ति की दिनांक तक हो। टीओटी प्रमाण पत्र की स्वयं प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करें।

   III. एनएसडीसी द्वारा संबंधित जाबरोल हेतु निर्धारित हिन्दी पुस्तकें निर्धारित प्रकाशक से क्रय कर बिल की स्वयं प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करें।

   IV. उपस्थिति हेतु एनआईसी के पोर्टल एवं राज्य के SSDM पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया पूर्ण करें। एनआईसी के ऑनबोर्डिंग फार्म का प्रारूप इस आदेश के साथ **अनुलग्नक -2** पर संलग्न है। इस फार्म को भरकर सील साईन कर हार्ड कापी में मुख्यकार्यपालन अधिकारी एमपीएसएसडीईजीबी भोपाल को प्रेषित करें।

   V. पीएमकेवीवाय संबंधित ब्रांडिग तथा कम से कम 02 दिशानिर्देशक सेंटर से 100 मीटर की दूरी पर लगाये।

5. आवंटित लक्ष्य हेतु पूर्ण राशि के**10** प्रतिशत की परफामेंस गारंटी इस कार्यादेश की तिथि से 07 दिवस मे बैंक गारंटी के माध्यम से जमा करें। बैंक गारंटी कम से कम 24 माह हेतु मान्य हो।

6. 30 प्रतिशत राशि की प्रथम किस्त प्राप्त करने हेतु एनएसडीसी द्वारा निर्धारित वेन्डर से इंडक्शन किट क्रय कर बिल की स्वयं प्रमाणित प्रति तथा प्रशिक्षणार्थियों द्वारा किट की प्राप्ति रसीद प्रस्तुत करें। साथ ही पुस्तक एवं किट वितरण के समय की फोटो भी संलग्न करें।समस्त भुगतान एवं प्रशिक्षण की प्रक्रिया PMKVY3.0 के अंतर्गत प्रचलित कॉमन कास्ट नॉर्म के अनुसार ही की जावेगी।

7. सभी प्रशिक्षण प्रदाताओं को उनके जिले अनुसार ही प्रशिक्षण केन्द्र संचालित करना आवश्यक है। स्थान परिवर्तन की स्थिति/फ्रेंचाईजी/ रेटिंग 4 स्टार से कम होने/अथवा किसी भी अनियमितता की स्थिति में किसी भी समय पर (बैच अंतर्गत प्रशिक्षण पूर्ण होने पर भी) संबंधित बैच स्वतः निरस्त माना जावेगा तथा भुगतान हेतु पात्र नही होगा। उक्तानुसार बैच निरस्त होने पर परफार्मेंस गारंटी जब्त कर ली जावेगी तथा सेक्टर काउंसिल द्वारा निर्धारित असेसमेंट फीस की वसूली भी प्रशिक्षण प्रदाता से की जावेगी। इस स्थिति में पूर्व भुगतान किये गए किश्तों की भी वसूली होगी। परफार्मेंस गारंटी की वापसी सभी शर्तों को पालन करते हुए प्रशिक्षण पूर्ण करने अथवा किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होने की दशा में ही की जावेगी।

8. प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा बैच प्रारंभ होने के उपरांत ट्रेनर परिवर्तित नही किया जावेगा तथा बैच पोर्टल पर दर्ज समयानुसार ही बैच का संचालन किया जायेगा।

9. सभी प्रशिक्षण प्रदाताओं को अपेक्षित 70 प्रतिशत प्लेसमेंट तथा 01 वर्ष की ट्रैकिंग पूर्ण कर डाटा एमपीएसएसडीईजीबी भोपाल को प्रस्तुत करना होगा।

10. समस्त सूचीबद्ध प्रशिक्षण प्रदाता के केन्द्रों का जिले स्तर पर भी समीक्षा किया जाना है। जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में DSC द्वारा अधिकृत अधिकारी प्रशिक्षण केन्द्रों का निरीक्षण समय-समय पर कर गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण सम्पादित हो रहा है या नहीं सुनिश्चित करें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
एमपीएसएसडीईजीबी

क्रमाँक / एमपीएसएसडीईजीबी / पीएमकेवीवाय / 750 / 224 3603भोपाल, दिनांक ~~29 / 12 / 2020~~ 01-2-21

प्रतिलिपिः–

1. संयुक्त सचिव, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एनएसडीसी नई दिल्ली को सूचनार्थ।
3. प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग मध्यप्रदेश को सूचनार्थ।
4. समस्त सम्बंधित जिला कलेक्टर म.प्र. को सूचनार्थ।

5. स्टेट इंगेजमेंट टीम, एनएसडीसी नई दिल्ली।
6. पीएमकेके टीम, एनएसडीसीमेल -modelcenters@nsdcindia.org
7. सभी संबंधित सेक्टर काउंसिल को इस आशय के साथ कि असेसमेंट के पूर्व बैच परिचालन कि स्थिति एमपीएसएसडीईजीबी से प्राप्त करें।
8. समस्त सम्बंधित संयुक्त संचालक क्षेत्रीय कार्यालय औसंस्थाए.प्र.म ।.प्र.
9. समस्त सम्बंधित नोडल प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
10. संयुक्त संचालक वित्त एमपीएसएसडीईजीबी।
11. श्री शिवप्रताप सिंह तोमर, प्रोग्रामर एमपीएसएसडीईजीबी।
12. श्री विवेक चैहान स्टेट इंगेजमेंट आफिसर एनएसडीसीभोपाल।
13. लक्ष्य आवंटन अनुसार समस्त सम्बंधितप्रशिक्षण प्रदाता को पालनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
एमपीएसएसडीईजीबी भोपाल